

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10306/2023

महावीर जैन पुत्र कुन्दन मल मिन्नी, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी  
मैसर्स कुन्दन मल महावीर एंड कंपनी, चित्रा आइस फैक्ट्री के पास,  
भीनासर, बीकानेर - 334303 ----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड-1 (2), आयकर भवन, रानी बाजार बीकानेर,  
राजस्थान 334001----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री आदित्य विजय, वी.सी. के माध्यम से,  
श्री पंकज अरोड़ा

प्रतिवादी के लिए:- श्री के.के. बिस्सा

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री मुन्नुरि लक्ष्मण

आदेश

रिपोर्ट योग्य

13/02/2024

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए (डी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आई. टी. ओ. वार्ड-1 (2), बी. के. एन. द्वारा पारित दिनांक 29.03.2023 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने से व्यथित याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है। अधिनियम की धारा 148 के तहत परिणामी नोटिस भी जारी किया गया है।

2. इस याचिका में उठाए गए कारण और विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक आवश्यक तथ्य, जैसा कि रिट याचिका में संक्षिप्त रूप से कहा गया है, यह है कि याचिकाकर्ता एक व्यक्तिगत निर्धारिती है और विचाराधीन वर्ष यानी निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए, उसने 2 अक्टूबर, 2019 को अपनी आय रु. 6,17,070 घोषित करते हुए आय विवरणी दाखिल की। हालाँकि, अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के तहत एक नोटिस डी. डी. आई. टी. (आई. एन. वी.), मुंबई से प्राप्त कथित जानकारी के आधार पर 14.03.2023 को जारी किया गया कि याचिकाकर्ता ने ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से Rs.50,00,000/- की आवास प्रविष्टियों का विकल्प चुना। याचिकाकर्ता द्वारा एक जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट करने की मांग की थी कि उसने मेसर्स हबटाउन लिमिटेड या महावीर चंद दुग्गड़ के साथ ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया था और उसने ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से कोई ऋण नहीं लिया है, लेकिन नवंबर, 2018 के महीने में ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को अग्रिम राशि दी है, जिसकी राशि Rs.65,00,000/- है और जिसे जनवरी, 2019 और मार्च, 2019 के महीने में किशतों में विधिवत भुगतान किया गया था। याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह था कि ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधन महावीर चंद दुग्गड़ द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि इसे विनोद और सुनीता सिंघवी द्वारा चलाया जाता था। याचिकाकर्ता ने यह

भी कहा कि ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एक शेयर कंपनी नहीं है और यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम है और यह एक लाइसेंस प्राप्त एनबीएफसी है। जवाब के साथ विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य भी संलग्न किए गए थे और महावीर चंद दुग्गड़ के बयानों की प्रतियां और अधिकारियों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा किए गए अन्य सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ता ने कथित समायोजन प्रविष्टियां ली थीं। याचिकाकर्ता ने सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.08.2022 का भी उल्लेख किया, जिसमें राजस्व को सूचना शाखा से प्राप्त जानकारी प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया था, साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज भी।

3. हालाँकि, 29.03.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से, संबंधित ITO ने राय दर्ज की कि Rs.50,00,000/-, कथित रूप से लेन-देन किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता और ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिटर्न का हिस्सा नहीं था और इसलिए, उस कारण से, कर के लिए प्रभार्य Rs.65,00,000/- की आय, मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारिती द्वारा दायर रिटर्न में मूल्यांकन से बच गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश न केवल प्रक्रियात्मक अनुचितता से ग्रस्त है, बल्कि कानून और तथ्य दोनों की त्रुटि से भी ग्रस्त है। विद्वान वकील, अपनी दलीलों को विस्तार से बताते हुए, तर्क दिया कि हालांकि धारा 148 ए (बी) के तहत नोटिस जानकारी का खुलासा करता है, सभी दस्तावेज और सामग्री रिकॉर्ड जहां से ऐसी जानकारी निकाली और एकत्र की गई थी, याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए गए थे जो परिपत्र दिनांक 01.08.2022 के जनादेश का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि व्यक्तियों के बयान, एक्सेल-शीट और अन्य सभी दस्तावेज जो

उपरोक्त बयानों और दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्यवाही शुरू करने के लिए भौतिक आधार बनाते हैं, याचिकाकर्ता को प्रदान किए जाने के लिए बाध्य थे।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी प्रार्थना की थी, जिसकी अनुमति उसे नहीं मिली। एक बार जब याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कहा था, तो प्राधिकरण सुनवाई का अवसर देने के लिए कर्तव्यबद्ध था जिसमें याचिकाकर्ता प्राधिकरण को संतुष्ट कर सकता था कि उपस्थित मूल्यांकन को फिर से खोलने का मामला नहीं था। इस अवसर से वंचित किए जाने के बाद, विभिन्न अवैधताओं के अलावा आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन से ग्रस्त है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का अगला निवेदन यह है कि आक्षेपित आदेश यांत्रिक, गैर-भाषी और याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई भौतिक आपत्तियों पर विचार किए बिना है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को उद्धृत करने के अलावा, सक्षम प्राधिकारी ने केवल औपचारिकता का पालन किया है और कारण देकर किसी भी आपत्ति को पूरा नहीं किया है, बहुत कम महत्वपूर्ण कारण, कि आपत्तियां स्थायी क्यों नहीं थीं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संबंधित आई. टी. ओ. ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से पूर्व निर्णय लिया था। उन्होंने रिकॉर्ड पर स्वीकार किए गए तथ्यों पर अपना दिमाग नहीं लगाया कि बैंकिंग लेनदेन विवरण स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता और ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच लेनदेन के विवरण का खुलासा करता है और यह कि यह किसी भी आवास प्रविष्टियों का मामला नहीं था, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया अग्रिम का मामला था, जिसे बाद में किशतों में चुकाया गया था।

उनकी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अनवर मोहम्मद शेख बनाम आयकर के सहायक आयुक्त [(2023) 292 टैक्समैन 414 (बॉम्बे)], सू स्टील्स लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी [(2023) 150 टैक्समैन 121 (दिल्ली)], युवा ट्रेडिंग कं. (पी.) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी [(2023) 292, टैक्समैन 598 (गुजरात)], कृष्णा डायग्नोस्टिक (पी.) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, वार्ड 143 [(2023) 151 टैक्समैन 499 (दिल्ली)], अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड बनाम प्रधान आयकर आयुक्त [(2023) 152 टैक्समैन 133 (पटना)] और पाकिरिसामी सैथिलकुमार बनाम भारत सरकार [(2023) 153 टैक्समैन 640 (मद्रास)] के मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों पर भरोसा किया।

7. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डी. डी. आई. टी. (आई. एन. वी.) से जानकारी प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता और ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए भारी लेन-देन और याचिकाकर्ता के आयकर रिटर्न में यह नहीं दिखाई देने के संबंध में, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के तहत नोटिस जारी करके जानकारी दी गई थी। याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जिस पर विधिवत विचार किया गया और उसके बाद ही संबंधित आई. टी. ओ. ने अधिनियम की धारा 148 के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने का आदेश पारित किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस स्तर पर, कराधान के संबंध में कोई निर्धारण नहीं है कि Rs.65,00,000/- की पूरी राशि कराधान के लिए उत्तरदायी है, लेकिन यह केवल मूल्यांकन को फिर से खोलने की कवायद है, क्योंकि उपरोक्त राशि मूल्यांकन से बच गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यहां जो भी आपत्तियां उठाई जा रही हैं, वे प्राधिकरण और न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए हैं कि उपरोक्त राशि निर्धारण से बच गई थी,

वह प्रकृति में कर योग्य नहीं है। राजस्व के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उन तर्कों पर, पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान कानून के अनुसार विचार किया जाएगा, जहां याचिकाकर्ता को पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान मूल्यांकन प्राधिकरण को संतुष्ट करने का पूरा अवसर मिलेगा कि मूल्यांकन से बची आय पर कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब याचिकाकर्ता यह स्वीकार कर लेता है कि उसने आयकर विवरणी में उपरोक्त लेनदेन का खुलासा नहीं किया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 148 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए अधिकार क्षेत्र पर पहुंचा जाता है और इसलिए, केवल इसलिए कि दस्तावेजों की आपूर्ति और व्यक्तिगत सुनवाई नहीं हुई है, वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, आदेश को चुनौती देना कानूनी रूप से धारणीय नहीं है। राजस्व के विद्वान वकील मेसर्स चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त [डी. बी. सिविल रिट याचिका No.7062/2022] के मामले में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा करते हैं।

8. हमने अभिलेखों को सुना और उनका अवलोकन किया तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर गहन विचार किया।

9. अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के तहत नोटिस के अवलोकन से पता चलता है कि नोटिस जारी करने का आधार याचिकाकर्ता और एक ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए भारी लेनदेन के संबंध में डी. डी. आई. टी. (आई. एन. वी.) से जानकारी की प्राप्ति थी। इससे आगे पता चलता है कि डी. डी. आई. टी. (आई. एन. वी.), मुंबई के कार्यालय द्वारा मेसर्स हबटाउन लिमिटेड लिमिटेड पर 30.07.2019 को आई. टी. अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी कार्रवाई की गई थी। तलाशी की कार्यवाही के

अनुसार, श्री महावीर दुग्गड़ का बयान शपथ पर दर्ज किया गया था। महावीर दुग्गड़ के पास से लैपटॉप और आईफोन का डेटा बैकअप भी एकत्र किया गया था। लैपटॉप में कुछ एक्सेल-शीट पाए गए थे जिनमें विभिन्न संस्थाओं के नाम पाए गए थे। नोटिस में आगे कहा गया है कि श्री महावीर दुग्गड़ ने पुष्टि की कि लैपटॉप में एक्सेल-शीट में उनके द्वारा असुरक्षित ऋण के रूप में विभिन्न लाभार्थियों को प्रदान की गई आवास प्रविष्टियों का विवरण है। उपरोक्त जानकारी में याचिकाकर्ता द्वारा असुरक्षित ऋण के रूप में ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रवेश प्रदाता श्री महावीर दुग्गड़ द्वारा संचालित) के माध्यम से Rs.50,00,000/- की आवास प्रविष्टियां लेने के बारे में भी जानकारी शामिल है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब मूल्यांकन वर्ष के लिए आई. टी. आर. का अध्ययन किया गया तो यह देखा गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट/आई. टी. आर. में ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड या श्री महावीर दुग्गड़ के साथ किए गए किसी भी लेनदेन को नहीं दिखाया था।

10. उपरोक्त आधार पर, आई. टी. ओ. ने प्रथम दृष्टया राय दी कि उपरोक्त लेनदेन आई. टी. आर. और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अन्य वित्तीय विवरणों से अस्पष्ट रहा।

11. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि धारा 148 ए(बी) के तहत नोटिस शुरू करने का आधार याचिकाकर्ता और ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच लेनदेन के बारे में जानकारी थी। धारा 148 ए(ए) में प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी धारा 148 के तहत कोई भी नोटिस जारी करने से पहले, यदि आवश्यक हो तो, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, उस जानकारी के संबंध में जांच करेगा, जो बताती है कि कर के लिए प्रभार्य आय निर्धारण से बच गई है। निर्धारण अधिकारी ने सूचना के संबंध में जांच शुरू की, जैसा कि सूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक में निहित

है, और विस्तृत रूप से निपटा गया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। हमारी राय में, जो जानकारी ली गई है, वह निश्चित रूप से बताती है कि कर के लिए प्रभार्य आय मूल्यांकन से बच गई है। "सुझाव" शब्द का उपयोग विधायी इरादे को दर्शाता है कि उस स्तर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धारा 148 ए के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए केवल प्रथम दृष्टया विचार आवश्यक है। जिन सामग्रियों का खुलासा किया गया है, उन्हें न तो स्पष्ट रूप से गलत, प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए लेनदेन के लिए बहुत कम अप्रासंगिक या बाहरी कहा जा सकता है।

12. याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया था। यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न दस्तावेजों और सामग्री की आपूर्ति के लिए उनकी मांग के अलावा कई आधारों का आग्रह किया गया था, जिनसे जानकारी एकत्र की गई थी और याचिकाकर्ता के साथ साझा की गई थी, वे लेनदेन को यह कहने के लिए अधिक समझाने की प्रकृति में हैं कि Rs.50,00,000/- की लेनदेन राशि कर योग्य नहीं थी। हालाँकि, यह वह चरण नहीं है जहाँ मूल्यांकन किया जाना है। आकलन प्राधिकरण, धारा 148 ए के तहत जांच करने के इस स्तर पर, कोई आकलन नहीं करता है, लेकिन जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या कर के लिए प्रभार्य कोई आय निर्धारण से बच गई है। यह कि अधिनियम की धारा 148 ए के तहत जांच का सीमित उद्देश्य और उद्देश्य होने के कारण, अपनी प्रकृति से, जांच का उद्देश्य केवल यह पता लगाना है कि क्या पुनर्मूल्यांकन का मामला बनाया गया है या नहीं और क्या कोई बताई गई राशि कर के लिए उत्तरदायी है या नहीं क्योंकि उस मुद्दे की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के चरण में विस्तार से जांच की जाएगी।

13. धारा 148 ए के खंड (डी) से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि



खंड (बी) के तहत नोटिस के जवाब में जवाब प्राप्त करने के बाद, मूल्यांकन अधिकारी को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है, जिसमें निर्धारिती का जवाब भी शामिल है कि धारा 148 ए के तहत नोटिस जारी करना उचित मामला है या नहीं। इसलिए, धारा 148 ए के तहत जांच का उद्देश्य यह तय करना है कि मूल्यांकन को फिर से खोलने का मामला बनाया गया है या नहीं। इसलिए, धारा 148 ए के तहत विचार की गई जांच की प्रकृति से, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस स्तर पर निर्धारिती के लिए रिकॉर्ड और सुनवाई पर प्रत्येक सामग्री की विस्तृत जांच और सूक्ष्म जांच और जांच आवश्यक है। एक बार जब जानकारी जो बताती है कि कर के लिए प्रभार्य आय मूल्यांकन से बच गई है, तो मूल्यांकन को फिर से खोलने का मामला बनाया जाता है।

14. हम मौखिक सुनवाई का अवसर न दिए जाने तथा कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील की सराहना करते, जिन्हें खंड (बी) के तहत नोटिस में संलग्न सूचना के लिए आधार बनाया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से यह स्वीकार किए जाने के कारण कि विवादित लेनदेन याचिकाकर्ता के आईटीआर/ऑडिट में परिलक्षित नहीं हुआ था, हालांकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह कहकर इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया कि बैंक विवरण याचिकाकर्ता और ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उन लेनदेन का खुलासा करता है। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि याचिकाकर्ता और ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच भारी लेनदेन किया गया है और आयकर रिटर्न/ऑडिट में इसका खुलासा नहीं किया गया है, तो यह स्पष्ट है कि उपरोक्त लेनदेन संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए बची हुई आय के बराबर है। इसलिए, हमारी राय में, याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं स्वीकारोक्ति धारा 148

के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने का मामला बनाती है। यद्यपि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दिए गए कारण संक्षिप्त प्रकृति के हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश गैर-बोलने वाला या यांत्रिक प्रकृति का है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारी लेनदेन का खुलासा न करना, आईटीआर/ऑडिट में और इसे धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके मूल्यांकन को फिर से खोलने का आधार बनाया जाना, मनमाना, सनकी या विकृत नहीं कहा जा सकता है, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सके।

15. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत किए गए निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां पक्ष ने स्वीकार किया था कि कुछ लेनदेन मूल्यांकन से बच गए थे। जानकारी या लेन-देन के मूल्यांकन से बचने के संबंध में गंभीर विवाद के मामले में, सुनवाई के अवसर का पालन न करना या दस्तावेजों की आपूर्ति न करना, अनुचित, मनमाना और कानून में अस्थिर माना गया और राहत प्रदान की गई। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा बार में उद्धृत निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं।

16. मेसर्स चेतक एंटरप्राइजेज लिमिटेड (उपरोक्त) (जिसमें हममें से एक, एम. एम. श्रीवास्तव, जे. एक पक्षकार थे) के मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने कुछ हद तक समान तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर लगभग समान मुद्दे पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में उल्लिखित कानूनी स्थिति का उल्लेख किया।

"12. 1922 के अधिनियम के तहत इसी तरह की स्थिति पर विचार करते हुए 'रसूलजी बक्सजी कथावाला बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली और एक अन्य' (1955 का सिविल रिट 44, दिनांक

2.4.1956) में, इस न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि-"लेकिन जहां इस मामले में अधिनियम के किसी भी हिस्से पर हमला नहीं किया जा रहा है, हमारी राय में, इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है जब अन्य उपाय जो आवश्यक रूप से कठिन नहीं हैं, अभी भी अधिनियम के तहत आवेदक के लिए खुले हैं। इसलिए, हम इस मामले में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं, और यह आवेदक पर छोड़ देते हैं कि वह आयकर अधिनियम के तहत अपने उपायों को आगे बढ़ाए, जहां तक अधिनियम के तहत आयकर के लिए उसकी प्रभार-योग्यता का सवाल है, या अन्य मामलों का संबंध है।"

13. पुराने अधिनियम अर्थात् भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत इसी तरह की स्थिति से निपटने के दौरान, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने लक्ष्मण दास नायर और अन्य बनाम हंसराज पुरी, आयकर अधिकारी, अमृतसर और अन्य, 1953 ए. आई. आर. (पी. एंड. एच.) 55 में कहा कि-"अधिनियम की योजना की जांच और अधिनियम की धारा 34 में उपयोग किए गए शब्दों और जिन विभिन्न मामलों का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, उनसे पता चलता है कि विधायिका ने तथ्यों और कानून का निर्धारण आयकर अधिकारियों को सौंपा है। अधिनियम के तहत विशेष तंत्र स्थापित किया गया है जिसके उपयोग से ही आयकर के उद्देश्यों के लिए कुल आकलन योग्य आय का पता लगाया जाना है और इस तंत्र के उपयोग के अलावा मूल्यांकन पर सवाल उठाने का अधिकार क्षेत्र अधिनियम की योजना के साथ असंगत है। इसलिए, एक रिट निषेध या अनिवार्यता द्वारा आयकर अधिकारी की कार्रवाई की चुनौती निर्धारिती के लिए उपलब्ध नहीं है।"

14. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 'सुमित पासी बनाम सहायक आयकर आयुक्त', (2016) 386 आई. टी.

आर. के मामले में कहा कि-

"29. निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से यह मानने के लिए दिए गए कारणों कि कर योग्य आय निर्धारण से बच गई है, को तथ्य खोजने की प्रक्रिया के बिना सीमा पर अलग नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता उपचारहीन नहीं हैं और अधिनियम के तहत समान रूप से प्रभावी विकल्प प्राप्त कर चुके हैं।

30. सी. आई. टी. बनाम छबील दास अग्रवाल [2014] 1 एस. सी. सी. 603 से कुछ इसी तरह का कथन स्पष्ट है क्योंकि यह मानता है कि अधिनियम कर के मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन, जुर्माना लगाने और राजस्व प्राधिकरणों द्वारा पारित किसी भी अनुचित आदेश के संबंध में राहत प्राप्त करने के लिए पूर्ण तंत्र प्रदान करता है, और निर्धारिती को उस तंत्र को छोड़ने और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जब उसके पास आयकर आयुक्त (अपील) को अपील करके पर्याप्त उपाय था।

31. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय के लिए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अपनी राय व्यक्त करना समीचीन नहीं है क्योंकि यह अनजाने में किसी भी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस (नोटिस) या आपत्तियों को खारिज करने वाले आदेश (नोटिस) को रद्द करने का कोई मामला इस समय से पहले नहीं बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुलमुहर सिल्क प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी वार्ड 10 (3) दिल्ली शीर्षक वाले डब्ल्यू. पी. (सी) 5787/2022 मामले में इसी प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि: -

"6. यद्यपि यह याचिकाकर्ता का मामला है कि आक्षेपित आदेश तथ्यों पर गलत है, फिर भी इस न्यायालय की राय है कि

याचिकाकर्ता को विभिन्न वैधानिक मंचों के समक्ष कार्यवाही के दौरान यह दिखाने का पर्याप्त अवसर मिलेगा कि तथ्य का निष्कर्ष गलत था। इसके अलावा, इस स्तर पर, कोई मूल्यांकन आदेश पारित नहीं किया गया है और यह केवल देखा गया है कि यह अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। वास्तव में, आयकर आयुक्त और अन्य बनाम छबील दास अग्रवाल, (2014) 1 एस. सी. सी. 603 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के निर्धारण/पुनर्मूल्यांकन के लिए पूर्ण तंत्र प्रदान करता है, निर्धारिती को उस तंत्र को छोड़ने और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की अनुमति नहीं है।"

16. हाल ही में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने लक्ष्मी मीना बनाम भारत संघ एवं अन्य [डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 447/2023, 15.02.2023 को निर्णीत] के मामले में माना कि अधिनियम की धारा 148 ए के तहत पारित आदेश को चुनौती देने के मामले में, जिसके बाद अधिनियम की धारा 148 ए(डी) के तहत नोटिस जारी किया गया, याचिकाकर्ता ने कार्यवाही शुरू करने या अधिनियम की धारा 148 ए(डी) के तहत कोई आदेश पारित करने के मामले में किसी भी प्रक्रियात्मक अनुचितता, अनियमितता या वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया था। डिवीजन बेंच ने अंशुल जैन बनाम प्रधान आयकर आयुक्त के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया। यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:-

"8. इस प्रकार, सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि जहां वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही का समापन भी नहीं किया गया है, रिट कोर्ट को ऐसे पूर्व-परिपक्व चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां नोटिस के खाली पढ़ने से

यह स्वयंसिद्ध रूप से अभिनिर्धारित किया जा सके कि प्राधिकरण ने उस अधिकार क्षेत्र को पकड़ लिया है जो इसमें निहित नहीं है। धारा 148 ए (डी) के तहत आदेश की शुद्धता को तथ्यात्मक आधार पर चुनौती दी जा रही है कि अधिकार क्षेत्र का गलत तरीके से प्रयोग किया गया है। अब तक यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अधिकार क्षेत्र में त्रुटि और कानून/तथ्य की त्रुटि के बीच अंतर है। त्रुटियों के सुधार के लिए वैधानिक उपाय प्रदान किया गया है। " अंशुल जैन (उपरोक्त) के मामले में पारित आदेश के खिलाफ एस. एल. पी. को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 02.09.2022 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था जो निम्नानुसार है:-

"1. उच्च न्यायालय के समक्ष जिसे चुनौती दी गई है, वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए (डी) के तहत प्रारंभिक नोटिस था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद नोटिस जारी किए गए हैं। यदि याचिकाकर्ता को इसके बाद गुण-दोष पर कोई शिकायत है, तो उसे पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में निर्धारण अधिकारी के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

2. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करना सही समझा है।

3. इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है।

5. लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।"

डिवीजन बेंच ने तय की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के बाद की कार्यवाही में उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

17. उपरोक्त विस्तृत विचार को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

18. हालांकि, हम यहां यह जोड़ना चाहते हैं कि हमने मूल्यांकन की योग्यता पर टिप्पणी नहीं की है। याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत करने के लिए की गई सभी दलीलें कि Rs.65,00,000/- की लेन-देन राशि प्रकृति में कर योग्य नहीं है, याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में उचित स्तर पर उठाई जा सकती हैं। मूल्यांकन अधिकारी, पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में, उन सभी प्रस्तुतियों से निपटने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा जो याचिकाकर्ता और ऑलब्राइट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच Rs.65,00,000/- से जुड़े लेनदेन की प्रकृति के संबंध में हमारे सामने किए गए हैं। इसके अलावा, यदि याचिकाकर्ता को दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें भी उन्हें उपलब्ध कराना होगा ताकि उसे मूल्यांकन अधिकारी को संतुष्ट करने का पूरा अवसर मिल सके कि आय को क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

19. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(मुन्नुरि लक्ष्मण), जे

(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), सी. जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।